तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए निम्न 03 बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है। ग्राम सेमलीभवानी की वादग्रस्त आराजी खसरा सं० 122 किता 2 कुल रकबा 1.6567 hect के प्रार्थीगण Recorded Khatedar tenant है और अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार निहित होना जाहिर नहीं है। अतः प्रकरण prima facie प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण ने ना तो कभी ख० नं० 409 में अनाधिकृत प्रवेश किया है और ना ही अतिक्रमण किया है बल्कि प्रार्थीगण ने ख० नं० 416 से होकर जाने वाले अप्रार्थीगण के रास्ते को बंद करने के लिए इस भाग को Abadi हेतु convert करा कर लिया है जिसका नया ख० नं० 529/416 है। यदि अप्रार्थीगण बिना किसी Lawful authority के प्रार्थीगण की कृषि आराजी ख० नं० 409 में होकर जबरन रास्ता बनाते है या अतिक्रमण कर मेड़ से गुजरते है तो प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा परिणामतः [illegible] क्षति कारित हो सकेगी। ख० नं० 529 गै० मु० आबादी होने से प्रकरण का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तांईसलामुलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की आराजी ख0 नं0 409 से ना तो जबरन कोई रास्ता कायम करे और ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश या सीमाचिन्ह बनाये। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलंग्न हो।	

(2)

13/11/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner